मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 07.06.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

पत्रांक– 1166 / M-8 / 61 दिनांक 11-6-24

जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0दे0–95 / छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211 / 38–5–2010–20 स्वजल / 2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 07.06.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है–

1. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद। (उपाध्यक्ष)
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,फर्रूखाबाद। (सदस्य)
3. प्रभागीय वनाधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद (सदस्य)
5. जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
6. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
8. अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
9. जिला कृषि अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
11. सहायक अभियन्ता लघु सिचाई विभाग,फर्रूखाबाद। (सदस्य)
12. श्री संजीव सिंह मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0। (टी0पी0आई0)
13. श्री हिमान्शू राठौर मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0। (डी0पी0एम0यू0)
14. श्री हिमान्शू सिंह मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
15. श्री शिव त्रिपाठी मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा। (निर्माण एजेन्सी)
16. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रूखाबाद। (सदस्य सचिव)

जल जीवन मिशन फेज–2 एवं फेज–3 की प्रगति की समीक्षाः–

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज–02 के अन्तर्गत 227 नग पेयजल योजनाओं पर मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद द्वारा कार्य कराया जा रहा है। एजेन्सी द्वारा जल जीवन मिशन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रगति के अनुसार 255 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 253 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 227 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 30 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 255 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 219 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 227 नग सोलर के सापेक्ष 188 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1819 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1737 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 113816 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 97262 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये है, 255 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट के

सापेक्ष 98 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिये गये है। साथ ही 55 नग क्लोरीनेटर क्रियाशील है जिसके द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि 20 नग पेयजल योजनाओं पर उच्च जलाशय द्वारा जलापूर्ति चालू की गई है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों की प्रगति पर रोष प्रकट करते हुये पूँछा गया कि समस्त कार्य कब तक पूर्ण होगे, जिस पर मै0 जी0वी0पी0आर0 फर्म के प्रतिनिधि श्री हिमांशु कान्त द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा 30, सितम्बर, 2024 तक समयबृद्धि प्रदान की गई है तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। जिस अधोहस्ताक्षरी द्वारा समयबृद्धि हेतु स्वीकृति प्रपत्र चाहे गये, जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया, समयबृद्धि पत्र के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने हेतु 30, सितम्बर, 2024 तक की स्वीकृति अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दी गई है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को सचेत किया गया कि कार्यों की प्रगति से ऐसा प्रतीत होता है कि इस गति से कार्यों को सितम्बर, 2024 तक भी पूर्ण नही हो सकेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कार्यों की प्रगति में सुधार नही लाया जाता है तो शासन को एजेन्सी द्वारा वांछित प्रगति प्राप्त न करने के कारण कठोर कार्यवाही/काली सूची में डालने हेतु संस्तुति पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज–03 के अन्तर्गत 151 नग पेयजल योजनाओं पर मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कार्यदायी एजेन्सी द्वारा जल जीवन मिशन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रगति के अनुसार 151 नग पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमे 168 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 167 नग ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 154 नग उच्च जलाशय के सापेक्ष 28 नग उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 168 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 165 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण है एवं अवशेष निर्माणाधीन है, 124 नग सोलर के सापेक्ष 120 नग सोलर स्थापित कर दिये गये है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 1722 कि0मी0 वितरण के सापेक्ष 1691 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछा दी गयी है एवं अवशेष पर कार्य प्रगति पर है, 80073 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 64407 नग गृह जल संयोजन उपलब्ध करा दिये गये है, 168 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 28 नग क्लोरीनेशन प्लान्ट अधिष्ठापित कर दिया गया है। जिसमें 06 नग क्लोरिनेटर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। अवशेष पर अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रगति पर है। यह भी अवगत कराना है कि 10 नग पेयजल योजनाओं पर उच्च जलाशय द्वारा जलापूर्ति चालू की गई है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यों की प्रगति पर रोष प्रकट करते हुये पूँछा गया कि समस्त कार्य कब तक पूर्ण कराना लक्षित है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्य जून, 2024 तक पूर्ण करना लक्षित था परन्तु कार्य पूर्ण न होने के कारण समयबृद्धि का प्रस्ताव खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के श्री शिव त्रिपाठी प्रतिनिधि को सचेत किया गया कि कार्यों में वांछित प्रगति प्राप्त नही करने की दशा में कठोर कार्यवाही/काली सूची में डालने हेतु संस्तुति पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद हेतु नामित टी0पी0आई0 मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0 के प्रतिनिधि श्री संजीव सिंह डी0पी0एम0 से पूँछा गया कि कुछ स्थानों पर निम्न गुणवत्ता कि टैप लगी है। जो मौके पर क्षतिग्रस्त पायी गयी जिस पर श्री संजीव सिंह डी0पी0एम0 के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक मात्र 4200 नग टैप का ही सत्यापन रिपोर्ट दी गयी है। तथा यदि टैप मानकानुसार नही है तो उसे बदलबाकर मानकानुसार टैप लगाने के उपरान्त ही सत्यापन किया जायेगा। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कहा गया कि यदि टी0पी0आई0 द्वारा 4200 नग टैप का ही सत्यापन किया गया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में मात्र 02–03 प्रतिशत् टैप से ही जलापूर्ति की जा रही है। जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक एजेन्सी द्वारा लगभग 80 प्रतिशत् गृहजल संयोजन किये गये है, परन्तु ऐजेन्सी द्वारा बीजक प्रस्तुत न करने के कारण शेष की सत्यापन रिपोर्ट टी0पी0आई0 द्वारा नही दी गयी है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 शेष गृहजल संयोजनों का निरीक्षण कर लें तथा मानकानुसार पाये जाने पर ही सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्देश दिये:–

1– अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन फेज–2 एवं फेज–3 के अन्तर्गत नामित दोनों एजेन्सी क्रमशः (1). मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद) (2). मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 नोएडा को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाने एवं गृह जल संयोजन प्रदान करने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उन ग्रामों में काटी गई सड़कों एवं गढ्ढों को पूर्व की भाँति नियमानुसार मरम्मत कार्य 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– कार्यदायी एजेन्सी द्वारा जिन ग्रामों में काटी गई सड़को का मरम्मत कार्य एवं गृहजल संयोजन देने के कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उन ग्रामों की सूची 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे कि इन ग्रामों का खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निरीक्षण करा कर सत्यापन कराया जा सके।

3– जल जीवन मिशन फेज–2 के अन्तर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद के प्रतिनिधि श्री हिमांशु कान्त द्वारा अवगत कराया कि 95 पेयजल योजनाओं (लगभग 50000 नग गृहजल संयोजन) पर प्रतिदिन नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

4– अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिया कि यदि कार्यदायी एजेन्सी द्वारा वितरण प्रणाली बिछाने के उपरान्त काटी गई सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्व की भाँति 15 दिवस के अन्दर नही किया गया तो एजेन्सी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही/कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

5– जिन पेयजल योजनाओ का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन योजनाओं से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से रोस्टर बनाकर करने हेतु निर्देशित किया।

6– पूर्व निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया तथा जिला पंचायतराज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि पूर्व निर्मित योजानाओं का निरीक्षण करवा लें तथा यह सुनिश्चित करा ले कि योजनाओं से प्रतिदिन जलापूर्ति होती रहे।

7– फेज–2 के अन्तर्गत कार्यदायी एजेंन्सी मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 एवं फेज–03 के अन्तर्गत मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0 को पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु सप्ताहिक एवं माहवार कम्पलीशन प्लान निम्न प्रारूप पर 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया ।

क्र0सं0	योजना का नाम	नियमित जलापूर्ति (लक्षित सप्ताह)	सड़क मरम्मत कार्य (लक्षित सप्ताह)	उच्चजलाशय का निर्माण कार्य (लक्षित सप्ताह)	मनकानुसार शत्प्रतिशत गृहजल संयोजन (लक्षित सप्ताह)	ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण एवं हर घर जल प्रमाणीकरण (लक्षित सप्ताह)
1	2	3	4	5	6	7

साथ ही यह भी निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं में से 50 प्रतिशत् योजनाओं के समस्त कार्य माह जून, 2024 तक 75 प्रतिशत् योजनाओं के समस्त कार्य जुलाई, 2024 तक एवं शतप्रतिशत् योजनाओं के समस्त कार्य अगस्त, 2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

8–जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन योजाओं के निर्माण हेतु भूमि विवादित/अप्राप्त है, को अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं उपजिलाधिकारी सदर/कायमगंज से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

9—जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी एजेन्सियों को नि[illegible]5 दिवस के अन्दर प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया साथ ही यह निर्देशित कि वांछित प्रगति नह[illegible]न्सी को काली सूची में डालने हेतु संस्तुति पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

10—अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी एजेन्सियों को गृहजल [illegible] घर के अन्दर एवं मानकानुसार ग्राउटिड/क्लैम्प करने हेतु निर्देशित किया एवं एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृति प्राप्त सप्लायर से ली गयी गुणवत्तापूर्ण टैप लगाने हेतु निर्देशित किया गया तथा टी0पी0आई0 द्वारा टैप की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

11—अधोहस्ताक्षरी द्वारा टी0पी0आई0 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्य जैसे– उच्च जलाशय निर्माण कार्य, गृहजल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन कार्य, पम्प हाउस निर्माण कार्य, बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति एवं समस्त कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया ।

12—साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता जल निमग (ग्रामीण) के द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक एवं अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रत्येक 15 दिवस में समीक्षा बैठक आहूत करायी जायेगी।

धन्यबाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रूखाबाद

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
4. जिला विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रूखाबाद।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रूखाबाद।
7. उपजिलाधिकारी सदर/कायमगंज, फर्रूखाबाद।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद।
9. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0 टी0पी0आई0, फर्रूखाबाद।
10. मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 डी0पी0एम0यू0, फर्रूखाबाद।
11. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
12. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजीनियर्स प्रा0लि0 जे0वी0, नोएडा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रूखाबाद

Scanned with OKEN Scanner